

प्रेषक,

राधेश्याम,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 27 अप्रैल, 2020

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अभि0/01/लेखा-निजी नलकूप/अनुदान/2020-21 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्यय में प्राविधानित धनराशि रूपए 120000.00 लाख (रूपए बारह सौ करोड मात्र) के सापेक्ष रु0 100.00 करोड (रूपए एक अरब मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृति की जा रही धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा। रुपये 100.00 करोड की धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रवेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की

स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

7. व्यय से संबंधित समस्त लाभार्थियों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाली जायेगी।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2019 दिनांक 24 मार्च 2020 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गयी है।

भवदीय,

(राधेश्याम)

अनु सचिव।

संख्या: 1/2020/ 938 (1) /12-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधेश्याम)

अनु सचिव।

प्रेषक,

राधेश्याम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 29 मई, 2020

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: अभि0/38/लेखा-निजी नलकूप/अनुदान/2020-21 दिनांक 20 मई, 2020 तथा शासनादेश संख्या: 8/2020/938/12-2-2020-बजट.3/2010 दिनांक 27 अप्रैल, 2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपर 120000.00 लाख (रूपर बारह सौ करोड मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपर 110000.00 लाख में से माह मई, 2020 हेतु द्वितीय किशत की धनराशि रू0 100.00 करोड (रूपर एक अरब मात्र) की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृति की जा रही धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा। रूपर 100.00 करोड की धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहं हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दश में नहं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंड आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदंशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

7. व्यय से संबंधित समस्त लाभार्थियों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाली जायेगी।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2019 दिनांक 24 मार्च 2020 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गयी है।

भवदीय,

(राधेश्याम)

अनु सचिव।

संख्या:13/2020/983 (1) /12-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधेश्याम)

अनु सचिव।

प्रेषक,

राधेश्याम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-२

लखनऊ: दिनांक: २६ जुलाई, २०२०

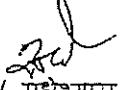
विषय: वित्तीय वर्ष २०२०-२१ में अनुदान संख्या-११ के लेखाशीर्षक २४०१-फसल कृषि कर्म १०२-खाद्यान्नों की फसलें-०५-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-२७-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: अभि०/१८७/लेखा-निजी नलकूप/अनुदान/२०२०-२१ दिनांक २४ जून, २०२० तथा शासनादेश संख्या: १३/२०२०/९८३/१२-२-२०२०-बजट.३/२०१० दिनांक २९ मई, २०२० के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-११ के लेखाशीर्षक २४०१-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-१०२-खाद्यान्नों की फसलें-०५-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-२७-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०२०-२१ के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपए १२००००.०० लाख (रूपए बारह सौ करोड मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये १०००००.०० लाख में से माह जून, २०२० हेतु तृतीय किश्त की धनराशि रू० १००.०० करोड (रूपए एक अरब मात्र) की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृति की जा रही धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा। रूपये १००.०० करोड की धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

- इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
- यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-१२ में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।


5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
6. उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामों डाला जायेगा।
7. व्यय से संबंधित समस्त लाभार्थियों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाली जायेगी।
8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2019 दिनांक 24 मार्च 2020 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गयी है।

भवदीय,

(राधेश्याम)
अनु सचिव।

संख्या: /2020/ (1) /12-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधेश्याम)
अनु सचिव।

(P) 61/6/2020

प्रेषक,

विद्या शंकर सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 04 सितम्बर, 2020

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: अभि0/420/लेखा-निजी नलकूप/अनुदान/2020-21 दिनांक 28 अगस्त, 2020 तथा शासनादेश संख्या: 19/2020/1200/12-2-2020-बजट.3/2010 दिनांक 28 जुलाई, 2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपए 120000.00 लाख (रूपए बारह सौ करोड मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 900000.00 लाख में से माह जुलाई, 2020 हेतु चतुर्थ किश्त की धनराशि रू0 100.00 करोड (रूपए एक अरब मात्र) की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृति की जा रही धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा। रूपये 100.00 करोड की धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
6. उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।
7. व्यय से संबंधित समस्त लाभार्थियों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाली जायेगी।
8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2019 दिनांक 24 मार्च 2020 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गयी है।

भवदीय,


(विद्या शंकर सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या: 31/2020/1720 (1) /12-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(डा0 राम चन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

प्रेषक,

विद्या शंकर सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 21 अक्टूबर, 2020

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 102-खादयन्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: अभि0/577/लेखा-निजी नलकूप/अनुदान/2020-21 दिनांक 21 सितम्बर, 2020 तथा शासनादेश संख्या: 31/2020/1720 /12-2-2020-बजट.3/2010 दिनांक 04 सितम्बर, 2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खादयन्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपर 120000.00 लाख (रूपर बारह सौ करोड मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपर 800000.00 लाख में से माह अगस्त, 2020 एवं सितम्बर, 2020 हेतु पांचवे एवं छठे किशत की धनराशि रू0 200.00 करोड (रूपर दो अरब मात्र) की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृति की जा रही धनराशि को एकमुशत अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा। रूपर 200.00 करोड की धनराशि का माहवार व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र कराया जायेगा।

2. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामों डाला जायेगा।

7. व्यय से संबंधित समस्त लाभार्थियों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाली जायेगी।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2019 दिनांक 24 मार्च 2020 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गयी है।

भवदीय,

(विद्या शंकर सिंह)

विशेष सचिव।

संख्या: 47/2020/1901(1) /12-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ।
7. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाईल।

(विद्या शंकर सिंह)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रेषक,

राधेश्याम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 02 जनवरी, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु 30 प्र0 विद्युत निगम को अनुदान के मानक मद-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: अभि0/1278/लेखा-निजी नलकूप/अनुदान/ 2020-21 दिनांक 19 नवम्बर, 2020 तथा शासनादेश संख्या: 47/2020/1901/12-2-2020-बजट.3/2010 दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 (सपठित शुद्धि पत्र संख्या: 2008/12-2-2020-बजट.3/2010 दिनांक 28 अक्टूबर, 2020) के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु 30 प्र0 विद्युत निगम को अनुदान के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपए 120000.00 लाख (रूपए बारह सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 60000.00 लाख में से माह अक्टूबर, 2020 एवं नवम्बर, 2020 हेतु सातवें एवं आठवें किश्त की धनराशि रू0 200.00 करोड़ (रूपए दो अरब मात्र) की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृति की जा रही धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा। रूपये 200.00 करोड़ की धनराशि का माहवार व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रवेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु 30 प्र0 विद्युत निगम को अनुदान के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

7. व्यय से संबंधित समस्त लाभार्थियों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाला जायेगा।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2019 दिनांक 24 मार्च 2020 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गयीं हैं।

भवदीय,

(राधेश्याम)

उप सचिव।

संख्या:02/2021/2231(1) /12-2-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधेश्याम)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रेषक,

राधेश्याम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 29 जनवरी, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 102-खादयन्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु 30 प्र0 विद्युत निगम को अनुदान के मानक मद-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: अभि0/2028/लेखा-निजी नलकूप/अनुदान/2020-21 दिनांक 22 जनवरी, 2021 तथा शासनादेश संख्या 02/2021/2231/12-2-2021-बजट.3/2010 दिनांक 02 जनवरी 2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-102-खादयन्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु 30 प्र0 विद्युत निगम को अनुदान के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्यय में प्राविधानित धनराशि रूपए 120000.00 लाख (रूपए बारह सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 40000.00 लाख में से माह दिसम्बर, 2020 एवं जनवरी, 2021 हेतु नवीं एवं दसवीं किश्त की धनराशि रू0 200.00 करोड़ (रूपए दो अरब मात्र) की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृति की जा रही धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा। रूपये 200.00 करोड़ की धनराशि का माहवार व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उ० प्र० विद्युत निगम को अनुदान के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

7. व्यय से संबंधित समस्त लाभार्थियों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाला जायेगा।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2019 दिनांक 24 मार्च 2020 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गयी है।

भवदीय,

(राधेश्याम)

उप सचिव।

संख्या: 06/2021/398 (1) /12-2-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ।
7. वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-गार्ड फाईल।
- 8.

आज्ञा से,

(राधेश्याम)

उप सचिव।

प्रेषक,

राधेश्याम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 23 फरवरी, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु 30 प्र0 विद्युत निगम को अनुदान के मानक मद-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: अभि0/2232/लेखा-निजी नलकूप/अनुदान/2020-21 दिनांक 10 फरवरी, 2021 तथा शासनादेश संख्या 06/2021/398/12-2-2021-बजट.3/2010 दिनांक 29 जनवरी 2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु 30 प्र0 विद्युत निगम को अनुदान के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपए 120000.00 लाख (रूपए बारह सौ करोड मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 20000.00 लाख में से माह फरवरी, 2021 हेतु धनराशि रू0 100.00 करोड (रूपए एक अरब मात्र) की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृति की जा रही धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा। रूपये 100.00 करोड की धनराशि का संगत शासनादेशों एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप सदुपयोग करते हुए माहवार व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा एवं अनुदानित धनराशि से लाभान्वित कृषकों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

2. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु 30 प्र0 विद्युत निगम को अनुदान के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

7. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय जाप संख्या: 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2019 दिनांक 24 मार्च 2020 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गयी है।

भवदीय,

(राधेश्याम)

उप सचिव।

संख्या:11/2021/563(1) /12-2-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधेश्याम)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रेषक:

महावीर प्रसाद गौतम,

उप सचिव,

उOप्रO शासन।

सेवा में,

✓ प्रबन्ध निदेशक,

उOप्रO पावर कारपोरेशन लिO,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 07 अप्रैल, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO के पत्र संख्या-421/अधिOनिO (वित्त)/विOप्रO-2/आय-व्ययक/2020-21/394, दिनांक 01 अप्रैल, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रुपये 4800,00,00,000/- (रुपये चार हजार आठ सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 400,00,00,000/- (रुपये चार सौ करोड़ मात्र) को माह अप्रैल 2020 के प्रथम सप्ताह में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उOप्रO पावर कारपोरेशन लिO द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

✓

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 78 /दस-2020, दिनांक 04 अप्रैल 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)

उप सचिव।

संख्या-40/2020/638(1)/24-1-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, 30प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), 30प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)

उप सचिव।

प्रेषक:

महावीर प्रसाद गौतम,

उप सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 04 मई, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या-493/अधि०नि० (वित्त)/वि०प्र०-2/आय-व्ययक/2020-21/394, दिनांक 27 अप्रैल, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रुपये 4800,00,00,000/- (रुपये चार हजार आठ सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रुपये 4400,00,00,000/- (रुपये चार हजार चार सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 400,00,00,000/- (रुपये चार सौ करोड़ मात्र) को माह मई 2020 के प्रथम सप्ताह में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

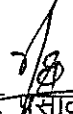
3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।



- 5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-विजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।
- 6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-94/दस-2020, दिनांक 04 मई 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,


(महावीर प्रसाद गौतम)

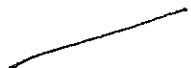
उप सचिव।

संख्या-52/2020/669(1)/24-1-2020. तददिनांक।


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, 30प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), 30प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,


(महावीर प्रसाद गौतम)

उप सचिव।



प्रेषक:

महावीर प्रसाद गौतम,

उप सचिव,

उOप्रO शासन।

सेवा में,

✓ प्रबन्ध निदेशक,

उOप्रO पावर कारपोरेशन लिO,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 01 जून, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO के पत्र संख्या-586/अधिOनिO (वित्त)/विOप्रO-2/आय-व्ययक/2020-21/394, दिनांक 26 मई, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रुपये 4800,00,00,000/- (रुपये चार हजार आठ सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रुपये 4000,00,00,000/- (रुपये चार हजार करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 400,00,00,000/- (रुपये चार सौ करोड़ मात्र) को माह जून, 2020 के प्रथम सप्ताह में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की वाध्यता होगी।

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उOप्रO पावर कारपोरेशन लिO द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

9/6

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 'सब्सिडी' के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या - ई - 10 - 106 /दस - 2020. दिनांक 01 जून, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)

उप सचिव।

संख्या- 56 /2020/718(1)/24-1-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, 30प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), 30प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)

उप सचिव।

प्रेषक:

मणीन्द्र शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓ प्रबन्ध निदेशक,

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 03 जुलाई, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या-766/अधि०नि० (वित्त)/ वि०प्र०-2/आय-व्ययक/2020-21/394, दिनांक 26 जून, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रुपये 4800,00,00,000/- (रुपये चार हजार आठ सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रुपये 3600,00,00,000/- (रुपये तीन हजार छः सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 400,00,00,000/- (रुपये चार सौ करोड़ मात्र) को माह जुलाई, 2020 के प्रथम सप्ताह में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

- 5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-विजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सविसडी" के नामे डाला जायेगा।
- 6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या - ई - 10 - 136 /दस - 2020, दिनांक 02 जुलाई, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(मणीन्द्र शर्मा)

संयुक्त सचिव।

संख्या- 64 /2020/863(1)/24-1-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, 30प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), 30प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(मणीन्द्र शर्मा)

संयुक्त सचिव।

प्रेषक:

मणीन्द्र शर्मा,
संयुक्त सचिव,
30प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 31 जुलाई, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-954/अधि0नि0 (वित्त)/ वि0प्र0-2/आय-व्ययक/2020-21/394, दिनांक 27 जुलाई, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रुपये 4800,00,00,000/- (रुपये चार हजार आठ सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रुपये 3200,00,00,000/- (रुपये तीन हजार दो सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 400,00,00,000/- (रुपये चार सौ करोड़ मात्र) को माह अगस्त, 2020 के प्रथम सप्ताह में आहरित किये जाने की श्री-राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- 30प्र0 पावर कार्रपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सव्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या - ई - 10 - 160 /दस - 2020, दिनांक 30 जुलाई, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मणीन्द्र शर्मा)

संयुक्त सचिव।

संख्या- 74 /2020/1007(1)/24-1-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, 30प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), 30प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(मणीन्द्र शर्मा)

संयुक्त सचिव।

प्रेषक:

मणीन्द्र शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓ प्रबन्ध निदेशक,

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 03 सितम्बर, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या-1107/अधि०नि० (वित्त)/ वि०प्र०-2/आय-व्ययक/2020-21/394, दिनांक 26 अगस्त, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रुपये 4800,00,00,000/- (रुपये चार हजार आठ सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 2000,00,00,000/- (रुपये दो हजार करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। अब अवशेष धनराशि रुपये 2800,00,00,000/- (रुपये दो हजार आठ सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 400,00,00,000/- (रुपये चार सौ करोड़ मात्र) को माह सितम्बर, 2020 के प्रथम सप्ताह में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-विजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या - ई - 10 - 184 /दस - 2020, दिनांक 02 सितम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मणीन्द्र शर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या-80/2020/1165(1)/24-1-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, 30प्र0, सरोजनी न्याय मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0, सरोजनी न्याय मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), 30प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10, वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(मणीन्द्र शर्मा)
संयुक्त सचिव।

प्रेषक:

मणीन्द्र शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उOप्रO शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उOप्रO पावर कारपोरेशन लिO,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 30 सितम्बर, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO के पत्र संख्या-1269/अधिOनिO (वित्त)/विOप्रO-2/आय-व्ययक/2020-21/394, दिनांक 22 सितम्बर, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO को क्षतिपूर्ति अनुदान के अन्तर्गत में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रुपये 4800,00,00,000/- (रुपये चार हजार आठ सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 2400,00,00,000/- (रुपये दो हजार चार सौ करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। अब अवशेष धनराशि रुपये 2400,00,00,000/- (रुपये दो हजार चार सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 400,00,00,000/- (रुपये चार सौ करोड़ मात्र) को माह अक्टूबर, 2020 के प्रथम सप्ताह में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संख्या 5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउंचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उOप्रO पावर कारपोरेशन लिO द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या - ई - 10 - 203 /दस - 2020, दिनांक 29 सितम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मणीन्द्र शर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 87 /2020/1289(1)/24-1-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, 30प्र0, सरोजनी नयडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0, सरोजनी नयडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), 30प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10 वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(मणीन्द्र शर्मा)
संयुक्त सचिव।

प्रेषक:

मणीन्द्र शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 02 नवम्बर 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या-1441/अधि०नि० (वित्त)/वि०प्र०-2/आय-व्ययक/2020-21/394, दिनांक 26 अक्टूबर, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान के अन्तर्गत अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रुपये 4800,00,00,000/- (रुपये चार हजार आठ सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 2800,00,00,000/- (रुपये दो हजार आठ सौ करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। अब अवशेष धनराशि रुपये 2000,00,00,000/- (रुपये दो हजार करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 400,00,00,000/- (रुपये चार सौ करोड़ मात्र) को माह नवम्बर, 2020 के प्रथम सप्ताह में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संख्या 55 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उओप्रओ पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या - ई - 10 - 230 /दस - 2020, दिनांक 02 नवम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मणीन्द्र शर्मा)

संयुक्त सचिव।

संख्या-98/2020/1448(1)/24-1-2020. तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उओप्रओ, सरोजनी न्याय मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उओप्रओ, सरोजनी न्याय मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उओप्रओ, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10, वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(मणीन्द्र शर्मा)

संयुक्त सचिव।

प्रेषक:

मणीन्द्र शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓ प्रबन्ध निदेशक,

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 27 नवम्बर, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्यय के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या 1665/अधि०नि० (वित्त)/वि०प्र०-2/आय-व्ययक/2020-21/394, दिनांक 24 नवम्बर, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रुपये 4800,00,00,000/- (रुपये चार हजार आठ सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 3200,00,00,000/- (रुपये तीन हजार दो सौ करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। अब अवशेष धनराशि रुपये 1600,00,00,000/- (रुपये एक हजार छः सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 400,00,00,000/- (रुपये चार सौ करोड़ मात्र) को मा. दिसम्बर, 2020 के प्रथम सप्ताह में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 197 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।



5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-9 के अन्तर्गत "2801-विजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सप्सडी" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-248/दस-2020, दिनांक 27, नवम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मणीन्द्र शर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या-104/2020/1665(1)/24-1-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, 30प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), 30प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(मणीन्द्र शर्मा)
संयुक्त सचिव।

प्रेषक:

मणीन्द्र शर्मा,
संयुक्त सचिव,
30प्र0 शासन।

सेवा में,

✓ प्रबन्ध निदेशक,

30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 21 दिसम्बर, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-1814/अधि0नि0 (वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक/2020-21/394 टी0सी0, दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रुपये 4800,00,00,000/- (रुपये चार हजार आठ सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 3600,00,00,000/- (रुपये तीन हजार छः सौ करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। अब अवशेष धनराशि रुपये 1200,00,00,000/- (रुपये एक हजार दो सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 400,00,00,000/- (रुपये चार सौ करोड़ मात्र) को माह जनवरी, 2021 के प्रथम सप्ताह में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

- 5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।
- 6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या - ई - 10 - 277 /दस - 2020, दिनांक 25 दिसम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मणीन्द्र शर्मा)

संयुक्त सचिव।

संख्या- 119 /2020/1863(1)/24-1-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, 30प्र0, सरोजनी न्यायई मार्ग, प्रयागराज- 211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0, सरोजनी न्यायई मार्ग, प्रयागराज- 211001।
- 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), 30प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(मणीन्द्र शर्मा)

संयुक्त सचिव।

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 08 फरवरी, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० की क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या-180/अधि०नि०(वित्त)/वि०प्र०-2/आय-व्ययक/2020-21/394 टी०सी०, दिनांक 01 फरवरी, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रुपये 4800,00,00,000/- (रुपये चार हजार आठ सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रुपये 800,00,00,000/- (रुपये आठ सौ करोड़ मात्र) में से शासनादेश संख्या-05/2021/61/24-1-21-54पी/02 टी०सी०-1, दिनांक 12 जनवरी, 2021 द्वारा धनराशि रुपये 400,00,00,000/- (रुपये चार सौ करोड़ मात्र) को माह जनवरी, 2021 में आहरित कर एन०टी०पी०सी० को भुगतान किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- उपरोक्त प्रस्तर-1 में शासनादेश दिनांक 12 जनवरी, 2021 द्वारा एन०टी०पी०सी० को भुगतान किये जाने वाली स्वीकृत धनराशि रुपये 400,00,00,000/- (रुपये चार सौ करोड़ मात्र) के शासनादेश को निरस्त करते हुए माह फरवरी, 2021 के प्रथम सप्ताह में धनराशि रुपये 400,00,00,000/- (रुपये चार सौ करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

3- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 12 जनवरी, 2021 द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति की धनराशि के सापेक्ष धनराशि का आहरण नहीं किया गया है।



4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या - ई - 10 - 32 /दस - 2021, दिनांक 05 फरवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

संख्या-11/2021/264(1)/24-1-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र०, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र०, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ०प्र०, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 02 मार्च, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या-316/अधि०नि० (वित्त)/ वि०प्र०-2/ आय-व्ययक/ 2020-21/394 टी०सी०, दिनांक 22 फरवरी, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रुपये 4800,00,00,000/- (रुपये चार हजार आठ सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 4400,00,00,000/- (रुपये चार हजार चार सौ करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। अब अवशेष धनराशि रुपये 400,00,00,000/- (रुपये चार सौ करोड़ मात्र) को माह मार्च, 2021 के प्रथम सप्ताह में स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या - ई - 10 - 53 /दस - 2021, दिनांक 02 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,



(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

संख्या-21/2021/468(1)/24-1-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, 30प्र0, सरोजनी न्यायई मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0, सरोजनी न्यायई मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), 30प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 30 अप्रैल, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० की क्षमिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या-607/ अधि०नि० (वित्त)/वि०प्र०-2/आय-व्ययक/2021-22/407, दिनांक 03 अप्रैल, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० की क्षमिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रुपये 5400,00,00,000/- (रुपये पाँच हजार चार सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 1000,00,00,000/- (रुपये एक हजार करोड़ मात्र) स्वीकृत किये जायेंगी और राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह अप्रैल, 2021 में धनराशि रुपये 500,00,00,000/- (रुपये पाँच सौ करोड़ मात्र) एवं माह मई, 2021 के प्रथम सप्ताह में धनराशि रुपये 500,00,00,000/- (रुपये पाँच सौ करोड़ मात्र) में किया जायेगा।

3- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-106-दस-2021 2022, दिनांक 29 अप्रैल 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

संख्या-51/2021/757(1)/24-1-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र०, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र०, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), उ०प्र०, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓ प्रबन्ध निदेशक,

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 24 मई, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या-738/ अधि०नि० (वित्त)/वि०प्र०-2/आय-व्ययक/2021-22/407, दिनांक 06 मई, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रुपये 5400,00,00,000/- (रुपये पाँच हजार चार सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रुपये 4400,00,00,000/- (रुपये चार हजार चार सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 500,00,00,000/- (रुपये पाँच सौ करोड़ मात्र) स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह जून, 2021 के प्रथम सप्ताह में किया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

- 5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।
- 7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 142 -दस-2021 2022, दिनांक 22 मई, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या-59/2021/822(1)/24-1-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र०, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र०, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), उ०प्र०, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓ प्रबन्ध निदेशक,

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 29 जून, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० की क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या-865/अधि०नि०(वित्त)/वि०प्र०-2/आय-व्ययक/2021-22/407, दिनांक 14 जून, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० की क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रुपये 5400,00,00,000/- (रुपये पाँच हजार चार सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रुपये 3900,00,00,000/- (रुपये तीन हजार नौ सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 500,00,00,000/- (रुपये पाँच सौ करोड़ मात्र) स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह जुलाई, 2021 के प्रथम सप्ताह में किया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

- 5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।
- 7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 261 -दस-2021 2022, दिनांक 25 जून, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या-72/2021/914(1)/24-1-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र०, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र०, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), उ०प्र०, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,

अनु सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓ प्रबन्ध निदेशक,

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 05 जुलाई, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या-926/अधि०नि०(वित्त)/वि०प्र०-2/आय-व्ययक/2021-22/407, दिनांक 28 जून, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रुपये 5400,00,00,000/- (रुपये पाँच हजार चार सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रुपये 3400,00,00,000/- (रुपये तीन हजार चार सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 500,00,00,000/- (रुपये पाँच सौ करोड़ मात्र) को माह जुलाई, 2021 में स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि आहरित कर भुगतान हेतु केन्द्रीय विद्युत उपक्रमों को प्रथमिकता प्रदान की जाय।

3- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

- 4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।
- 5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान-संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।
- 7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 304-दस्तावेज-2021 2022, दिनांक 02 जुलाई, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

संख्या- 79 /2021/986(1)/24-1-2021- तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र०, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र०, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), उ०प्र०, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 05 अगस्त, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० की क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या-926/अधि०नि०(वित्त)/वि०प्र०-2/आय-व्ययक/2021-22/407, दिनांक 28 जून, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० की क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रुपये 5400,00,00,000/- (रुपये पाँच हजार चार सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रुपये 2900,00,00,000/- (रुपये दो हजार नौ सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 350,00,00,000/- (रुपये तीन सौ पचास करोड़ मात्र) स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय संघर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह अगस्त, 2021 के प्रथम सप्ताह में किया जायेगा।

3- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि आहरित कर भुगतान हेतु केन्द्रीय विद्युत उपक्रमों को प्रथमिकता प्रदान की जाय।

4- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

6- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 527-दस-2021 2022, दिनांक 30 जुलाई, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

संख्या-91/2021/1109(1)/24-1-2021-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र०, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र०, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), उ०प्र०, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,

अनु सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓ प्रबन्ध निदेशक,

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 04 सितम्बर, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या-1204/अधि०नि०(वित्त)/वि०प्र०-2/आय-व्ययक/2021-22/407, दिनांक 21 अगस्त, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रुपये 5400,00,00,000/- (रुपये पाँच हजार चार सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रुपये 2550,00,00,000/- (रुपये दो हजार पाँच सौ पचास करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 350,00,00,000/- (रुपये तीन सौ पचास करोड़ मात्र) स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह सितम्बर, 2021 के प्रथम सप्ताह में किया जायेगा।

3- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 951 -दस-2021 2022, दिनांक 07 सितम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

संख्या- 97 /2021/1385(1)/24-1-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र०, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज- 211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र०, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज- 211001।
- 3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), उ०प्र०, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,

अनु सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓ प्रबन्ध निदेशक,

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 01 अक्टूबर, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या-1335/अधि०नि०(वित्त)/वि०प्र०-2/आय-व्ययक/2021-22/407, दिनांक 17 सितम्बर, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रुपये 5400,00,00,000/- (रुपये पाँच हजार चार सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रुपये 2200,00,00,000/- (रुपये दो हजार दो सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 350,00,00,000/- (रुपये तीन सौ पचास करोड़ मात्र) स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह अक्टूबर, 2021 के प्रथम सप्ताह में किया जायेगा।

3- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

- 4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।
- 5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।
- 7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-1330-दस-2021/2022, दिनांक 29 सितम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

संख्या-101/2021/1499(1)/24-1-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र०, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र०, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), उ०प्र०, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

प्रेषक,

आनन्द कुमार निपाठी,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

✓ प्रबन्ध निदेशक,

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 13 अक्टूबर, 20

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के
में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख
1363/अधि0निदे0(वित्त)/एफ-2/विद्युत कर/345/भाग-2, दिनांक 22 सितम्बर, 2021
सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ0प्र0 प
कारपोरेशन लि0 के लिए अनुदान संख्या-09 के लेखाशीर्षक-2801-बिजली- 05-संचरण
वितरण- 800- अन्य व्यय-10-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को विद्युत कर
भुगतान की गयी धनराशि के विरुद्ध राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी में प्राविधा
धनराशि रुपये 4750,00,00,000/- (रुपये चार हजार सात सौ पचास करोड़ मात्र) में से ब
हो रही धनराशि रुपये 2750,00,00,000/- (रुपये दो हजार सात सौ पचास करोड़ मात्र)
लेखाशीर्षक संलग्नक बी0एम0-9 के अनुसार पुनर्विनियोग करते हुए उ0प्र0 पावर कारपोरेश
लि0 को अनुदान सं0-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली-05-संचरण एवं वितरण-800-अ
व्यय -04-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" के त
स्वीकृत कर आहरित कर व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यप
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृति का आहरण माह अक्टूबर, 2021 में धनराशि रूप
750,00,00,000/- (रुपये सात सौ पचास करोड़ मात्र), नवम्बर, 2021 में धनराशि रूप
750,00,00,000/- (रुपये सात सौ पचास करोड़ मात्र), माह दिसम्बर, 2021 में धनरा
रुपये 750,00,00,000/- (रुपये सात सौ पचास करोड़ मात्र), माह जनवरी, 2022 में धनरा
रुपये 200,00,00,000/- (रुपये दो सौ करोड़ मात्र), माह फरवरी, 2022 में धनराशि रूप
200,00,00,000/- (रुपये दो सौ करोड़ मात्र) एवं अन्तिम किश्त के रूप में माह मार्च, 202
में धनराशि रुपये 100,00,00,000/- (रुपये एक सौ करोड़ मात्र) किया जायेगा।



3- उपरोक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृति धनराशि का आहरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जायेगा:-

- (1) उपरोक्त किशतों का आहरण संबंधित माह की 10वीं तारीख के पूर्व नहीं किया जायेगा।
- (2) जिस मद में धनराशि पुनर्विनियोग की गयी है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की माँग नहीं करेंगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय करेंगे।
- (3) जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है, उस मद की सम्पूर्ण धनराशि व नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जाएगा।
- (4) प्रस्तावित पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। इसका व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाले आडिट आपत्ति हेतु निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० उत्तरदायी होंगे।
- (6) किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्व निदेशक (वित्त) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० का होगा।
- (7) स्वीकृत धनराशि व्यय किए जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 एवं समयसमय पर निर्गत- दिशानिर्देशों का पूर्णतया अनुपालन निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० सुनिश्चित किया जाएगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ और ऊर्जा विभाग/ वित्त विभाग/ समाज कल्याण विभाग को उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।



- 6- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मदों में किया जायेगा।
- 7- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 8- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800 - अन्य व्यय -04-उत्तर" उ० पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।
- 9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-1554/दस-2021/20 दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

संख्या-112/2021/1540(1)/24-1-21, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रबन्ध निदेशक, उ० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
- 2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ० सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
- 3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ० सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
- 4- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ०, छठवां तल केन्द्रीय भवन सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 7- गाइ बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

अनुदान संख्या-9, ऊर्जा विभाग

वित्तीय वर्ष 2021-22 (धनराशि लाख रुपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जानेवाला		
लेखाशीर्षक पूंजी	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2801 - विजली -05-संचरण एवं वितरण -800- अन्य व्यय - 10-3030 पावर कारपोरेशन लि0 को विद्युत कर की भुगतान की गयी धनराशि के विरुद्ध राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान-27-मजिस्ट्री योन-	475000.00	475000.00	275000.00	275000.00	20000.00
	475000.00	475000.00	275000.00	275000.00	20000.00

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जानेवाला		
लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
"2801-विजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- 3030 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान -27 मजिस्ट्री"	540000.00	815000.00	275000.00	275000.00	815000.00
योन-	540000.00	815000.00	275000.00	275000.00	815000.00

- 1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध वचन का कारण निम्नानुसार है-
क्षेत्राधीन समर्पित किये जाने के कारण
- 2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित आर्थिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है-
वर्ष 2021-22 से आवंटित की गयी क्षेत्राधीन समर्पित हो जाने के कारण
प्रमाणित किया जाता है उपर्युक्त पुनर्वित्तियोग में उत्तर प्रदेश बजट
संयुक्त के प्रस्तर-150, 151, 154 व 155 में निदिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं
का उल्लंघन नहीं होता है।
- 3- संख्या-आर0ई0- 88 /ई-10- 1554 /इस-2021 2022, दिनांक 13 अक्टूबर, 2021

सेवा में,

सहाय्यकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

हस्ताक्षर:-
नाम व पदनाम- (आनन्द कुमार त्रिपाठी)
प्रशासकीय विभाग-अनुसन्धिव, ऊर्जा विभाग।

हस्ताक्षर:-
नाम व पदनाम- (नीलरतन कुमार)
विशेष सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या:-890/24-1-2021-54 (बजट)/2021, दिनांक 13 अक्टूबर, 2021

- 1- प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आदेशक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
प्रथम निदेशक, उ0प्र0 धावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 3- सहोपेक्षाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल फेन्डींग भवन, कैप्टन-राज, श्रीरामजी लखनऊ।
- 4- सहोपेक्षाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 मरोजनी नाथू मारु, प्रयागराज।
- 5- सहोपेक्षाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 मरोजनी नाथू मारु, प्रयागराज-211001।
- 6- निदेशक, वित्तिय नायिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- वित्त (व्यय-निर्देशन) अनुभाग-10
- 8- वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)।
- 9- गार्ड फ़ाइल।

हस्ताक्षर:-
नाम व पदनाम- (आनन्द कुमार त्रिपाठी)
प्रशासकीय विभाग-अनुसन्धिव, ऊर्जा विभाग।

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

✓ प्रबन्ध निदेशक,

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 22 अक्टूबर, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में स्वीकृत व गयी धनराशि को आहरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या 1481/अधि0नि0(वित्त)/एफ-2/विद्युत कर/345/भाग-2, दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अनुदान सं0-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली-05-संचरण एवं वितरण-800-अन्य व्यय -04-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" में शासनादेश संख्या-112/2021/1540/24-1-21-54पी/02 टी0सी0, दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से रूप 2750,00,00,000/- (रुपये दो हजार सात सौ पचास करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त स्वीकृत धनराशि में से रुपये 750,00,00,000/- (रुपये सात सौ पचास करोड़ मात्र) की धनराशि का आहरण किया जा चुका है। अब अवशेष धनराशि रुपये 2000,00,00,000/- (रुपये दो हजार करोड़ मात्र) को माह अक्टूबर, 2021 में धनराशि रुपये 1000,00,00,000/- (रुपये एक हजार करोड़ मात्र) एवं माह नवम्बर, 2021 में धनराशि रुपये 1000,00,00,000/- (रुपये एक हजार करोड़ मात्र) की किश्त के रूप में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- शासनादेश संख्या-112/2021/1540/2451-21-54पी/02टी0सी0-1 दिनांक 13 अक्टूबर 2021 द्वारा स्वीकृति की गयी धनराशि की शर्तें यथावत रहेगी।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ और ऊर्जा विभाग/ वित्त विभाग/ समाज कल्याण विभाग को उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

- 5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-09 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800 - अन्य व्यय -04-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।
- 7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 1708 /दस-2021 2022, दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

संख्या-113/2021/1648(1)/24-1-21, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र० सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
- 3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र० सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 110011।
- 4- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ०प्र०, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,

अनु सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓ प्रबन्ध निदेशक,

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 22 अक्टूबर, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या-1419/अधि०नि०(वित्त)/निधि-2/आय-व्ययक/2021-22/407, दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के लिए अनुदान संख्या-09 के लेखाशीर्षक-2801-बिजली-05-संचरण एवं वितरण-800-अन्य व्यय-05-उद्यय योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों की फण्डिंग-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेलन) में प्रविधानित धनराशि रुपये 6500,00,00,000/- (रुपये छः हजार पाँच सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 1500,00,00,000/- (रुपये एक हजार पाँच सौ करोड़ मात्र) को पुनर्विनियोग के माध्यम से (संलग्नक बी०एम०-9 के अनुसार) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को अनुदान सं०-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली-05-संचरण एवं वितरण-800-अन्य व्यय -04-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" में स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ और ऊर्जा विभाग/ वित्त विभाग/ समाज कल्याण विभाग को उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

- 5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-09 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800 - अन्य व्यय -04-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।
- 7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 1711 /दस-2021 2022, दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

संख्या-114/2021/1596(1)/24-1-21, तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - 2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र० सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
 - 3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र० सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 110011।
 - 4- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ०प्र०, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
 - 5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
 - 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
 - 7- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

बी0एम0-9 (भाग-1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृत
(सन्दर्भ-बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

अनुदान संख्या-9, ऊर्जा विभाग

वित्तीय वर्ष 2021-22 (धनराशि लाख रुपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाश्रीर्षक पूंजी	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध वचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2801 - विजनी -05- मंचरण एवं द्विनरण -8000. अन्य व्यय - 05- उद्भूत भौतिक के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों की फण्डिंग - 20- महायत्ना अनुदान- मा मा मा (गैर वेतन)	650000.00	150000.00	150000.00	150000.00	500000.00
योग-	650000.00	150000.00	150000.00	150000.00	500000.00

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाश्रीर्षक	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
"2801-विजनी -05-मंचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान -27 मजिडी"	815000.00	965000.00	150000.00	150000.00	965000.00
योग-	815000.00	965000.00	150000.00	150000.00	965000.00

- 1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-
धनराशि समर्पित किये जाने के कारण
- 2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-
वर्ष 2021-22 में आवंटित की गयी धनराशि समाप्त हो जाने के कारण
- 3- प्रमाणित किया जाता है उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट
मैनुअल के प्रस्तर-150, 151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं
का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर0ई0- 105 /ई-10- 1711 /दस-2021 2022, दिनांक 22 अक्टूबर, 2021

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदार) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

हस्ताक्षर:-
नाम व पदनाम- (आनन्द कुमार त्रिपाठी)
प्रशासकीय विभाग-अनुसचिव, ऊर्जा विभाग।

हस्ताक्षर:-
नाम व पदनाम- (नीलरतन कुमार)
विशेष सचिव,
विभाग- वित्त विभाग।

संख्या-1592/24-1-2021-54 (बजट)/2021, दिनांक 22 अक्टूबर, 2021

- 1- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, ब्रह्मचं तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
- 4- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज।
- 5- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10
- 8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)।
- 9- गार्ड फ़ाइल।

हस्ताक्षर:-
नाम व पदनाम- (आनन्द कुमार त्रिपाठी)
प्रशासकीय विभाग-अनु सचिव, ऊर्जा विभाग।

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,

अनु सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓ प्रजन्ध निदेशक,

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 03 नवम्बर, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या-1516/अधि०नि०(वित्त)/वि०प्र०-2/आय-व्ययक/2021-22/407, दिनांक 23 अक्टूबर, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से कुल प्राविधानित धनराशि रुपये 9650,00,00,000/- (रुपये नौ हजार छः सौ पचास करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रुपये 1850,00,00,000/- (रुपये एक हजार आठ सौ पचास करोड़ मात्र) स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह नवम्बर, 2021 से माह मार्च, 2022 तक धनराशि रुपये 370,00,00,000/- (रुपये तीन सौ सत्तर करोड़ मात्र) की पाँच समान मासिक किश्तों में किया जायेगा।

3- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-1886 -दस-2021 2022, दिनांक 02 नवम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

संख्या-115/2021/1670(1)/24-1-2021. तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र०, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र०, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), उ०प्र०, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 02, दिसम्बर, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को विद्युत कर वसूली के विरुद्ध समायोजन हेतु क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या-1531/अधि०नि०/निधि-11/विद्युत कर/345/भाग-2, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को विद्युत कर की भुगतान की गयी धनराशि के विरुद्ध समायोजन हेतु क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि रुपये 4750,00,00,000/- (रुपये चार हजार सात सौ पचास करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रुपये 2000,00,00,000/- (रुपये दो हजार करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 1050,00,00,000/- (रुपये एक हजार पचास करोड़ मात्र) श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृत करने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण पुस्तक समायोजन के द्वारा किया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा, तथा यू०पी०पी०सी०एल० द्वारा संग्रहीत इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी का सत्यापित विवरण यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

6- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली-05-संचरण एवं वितरण-800-अन्य व्यय-10- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को विद्युत कर की भुगतान की गयी धनराशि के विरुद्ध राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा तथा यह भुगतान पुस्तक समायोजन द्वारा प्राप्त लेखाशीर्षक "0043-विद्युत कर तथा शुल्क-101-विद्युत के उपभोग और बिक्री पर कर-01-विद्युत के उपभोग और बिक्री पर कर" के अन्तर्गत जमा किया जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-2142/दस-2021 2022, दिनांक 26 नवम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

संख्या-123/2021/1694(1)/24-1-21, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र०, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज- 211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र०, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज- 211001।
- 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ०प्र०, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि अनुभाग-2

संख्या: 39/2021/1355164/12-2002/4/2021

लखनऊ: दिनांक: 07 जुलाई, 2021

कार्यालय-आदेश

कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि रु. 15,00,00.00 लाख की धनराशि सापेक्ष रु. 1,25,00.00 लाख (एक सौ पच्चीस करोड़ रुपए मात्र) की तृतीय किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि नियमानुसार एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण की जा सकेगी,
 2. संगत शासनादेशों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप धनराशि का सदुपयोग करते हुए, माहवार व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा तथा अनुदानित धनराशि से लाभान्वित कृषकों का विवरण विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किया जाएगा,
 3. कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा,
 4. सुनिश्चित किया जाए कि प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं है। स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जाएगा,
 5. व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए,
 6. धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, व्यय करने के पूर्व, यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जाए,
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय, चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु 30 प0 विद्युत निगम को अनुदान-27-संक्षिप्त" के नामे डाली जायेगी।
3. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग की पत्रावली पर प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।
4. वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में, वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या- 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.3.2021 के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(शत्रुञ्जय कुमार सिंह)

विशेष सचिव।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लि०, लखनऊ,
5. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्रांक: अभि०/143/लेखा-निजी नलकूप/अनुदान/2021-22/लखनऊ, दिनांक 22 जून, 2021 के संदर्भ में,
6. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 28 मई, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 102-खादयन्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु 30 प्र0 विद्युत निगम को अनुदान के मानक मद-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: अभि0/13/लेखा-निजी नलकूप/अनुदान/2021-22 दिनांक 12 अप्रैल, 2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-102-खादयन्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु 30 प्र0 विद्युत निगम को अनुदान के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूप 150000.00 लाख (रुप पन्द्रह सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष माह अप्रैल, 2021 एवं मई, 2021 हेतु धनराशि रु0 25000.00 लाख (रुप दो सौ पचास करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृति की जा रही धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा। रुपये 25000.00 लाख की धनराशि का संगत शासनादेशों एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप सदुपयोग करते हुए माहवार व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा एवं अनुदानित धनराशि से लाभान्वित कृषकों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

2. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु 30 प्र0 विद्युत निगम को अनुदान के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

7. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गयी है।

भवदीय,

(बृजराज सिंह यादव)

विशेष सचिव।

संख्या:24/2021/1355164(1) /12-2-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ।
7. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3 गार्ड फाईल।
- 8.

(बृजराज सिंह यादव)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।



उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-2
संख्या:43/2021/1355164/12-2002/4/2021
लखनऊ: दिनांक: 30 जुलाई, 2021

कार्यालय-आदेश

कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि रु. 15,00,00.00 लाख की धनराशि के सापेक्ष रु. 1,25,00.00 लाख (एक सौ पच्चीस करोड़ रूपए मात्र) धनराशि की माह जुलाई, 2021 की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा,
 2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय संगत शासनादेशों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा,
 3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जाएगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जाएगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जाएगा,
 4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जाएगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जाएगी।
 5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करते हुए व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा तथा अनुदानित धनराशि से लाभान्वित कृषकों का विवरण विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किया जाएगा,
 6. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रखने का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय, चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष '2401-फसल कृषि कर्म-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु 30 प्र0 विद्युत निगम को अनुदान-27-सब्सिडी' के नामे डाली जायेगी।
3. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग की पत्रावली पर प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।
4. वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में, वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.3.2021 के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(शत्रुञ्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लि०, लखनऊ,
5. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्रांक: अभि०/210/लेखा-निजी नलकूप/अनुदान/2021-22/लखनऊ, दिनांक 08 जुलाई, 2021 के संदर्भ में,
6. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शत्रुञ्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि अनुभाग-2

संख्या:69/2021/ 1355164/12-2002/4/2021

लखनऊ: दिनांक: 12 अक्टूबर, 2021

कार्यालय-आदेश

कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि रु. 15,00,00.00 लाख की धनराशि के सापेक्ष तीन किशतों के रूप में रु. 3,75,00,00,000/- (तीन अरब पचहत्तर करोड़ रुपये मात्र) धनराशि की माह अगस्त, 2021 से अक्टूबर, 2021 तक की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा,
 2. स्वीकृत धनराशि का व्यय संगत शासनादेशों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा,
 3. स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जाएगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जाएगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जाएगा,
 4. स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जाएगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जाएगी।
 5. स्वीकृत धनराशि का व्यय करते हुए व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा तथा अनुदानित धनराशि से लाभान्वित कृषकों का विवरण विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किया जाएगा,
 6. निर्गत वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रखने का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय, चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्यय की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष '2401-फसल कृषि कर्म-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु 30 प्र0 विद्युत निगम को अनुदान-27-सब्सिडी' के नामे डाली जायेगी।
3. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग की पत्रावली पर प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।
4. वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में, वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या- 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.3.2021 के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(शत्रुञ्जय कुमार सिंह)

विशेष सचिव।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लि०, लखनऊ,
5. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्रांक: अभि०/470/लेखा-निजी नलकूप/
अनुदान/2021-22/लखनऊ, दिनांक 09 सितम्बर, 2021 के संदर्भ में,
6. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर
प्रदेश शासन,
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शत्रुञ्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-2
संख्या:86/2021/ 1355164/12-2002/4/2021
लखनऊ: दिनांक: 16 नवम्बर, 2021

कार्यालय-आदेश

कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि रु. 15,00,00.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रु. 6,25,00,00,000/- (छ: अरब पच्चीस करोड़ रुपये मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा,
 2. स्वीकृत धनराशि का व्यय संगत शासनादेशों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा,
 3. स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जाएगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जाएगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जाएगा,
 4. स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जाएगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जाएगी।
 5. स्वीकृत धनराशि का व्यय करते हुए व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा तथा अनुदानित धनराशि से लाभान्वित कृषकों का विवरण विभागीय वेब-साइट पर अपलोड किया जाएगा,
 6. निर्गत वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रखने का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।
 7. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वहन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय, चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्यय की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-102-खादयान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु 30 प्र0 विद्युत निगम को अनुदान-27-सब्सिडी" के नामे डाली जायेगी।
3. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग की पत्रावली पर प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।
4. वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में, वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.3.2021 के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।


(राधेश्याम)
उप सचिव।

संख्या:86/2021/ 1355164(1)12-2002/4/2021तददिनांक।

- प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
 2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
 3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
 4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लि0, लखनऊ,
 5. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्रांक: अभि0/924/लेखा-निजी नलकूप/अनुदान/2021-22/लखनऊ, दिनांक 02 नवम्बर, 2021 के संदर्भ में,
 6. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,
 7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
 8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
 9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधेश्याम)
उप सचिव।



प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

✓ प्रबन्ध निदेशक,

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 28 दिसम्बर, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-1699/अधि0निदे0(वित्त)/एफ-2/विद्युत कर/345/भाग-2, दिनांक 02 दिसम्बर, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-09 के अन्तर्गत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के लेखाशीर्षक-2801-बिजली-05-संचरण एवं वितरण-800-अन्य व्यय-10-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को विद्युत कर की भुगतान की गयी धनराशि के विरुद्ध राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रुपये 950,00,00,000/- (रुपये नौ सौ पचास करोड़ मात्र) को पुनर्विनियोग के माध्यम से लेखाशीर्षक "2801-बिजली-05-संचरण एवं वितरण-800-अन्य व्यय -04-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" में (संलग्नक प्रपत्र बी0एम0-9 के अनुसार) में स्वीकृत कर आहरित किये जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जायेगा:-

- (1) जिस मद में धनराशि पुनर्विनियोग किये जा रहे हैं उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं की जायेगी तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय की जायेगी।
- (2) जिस मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत की गयी है उस मद में सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में निदेशक (वित्त) द्वारा किया जायेगा।
- (3) जिस मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत की गयी है इसका व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
- (4) जिस मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत की गयी है का सदुपयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाले ऑडिट आपत्ति निदेशक (वित्त) उत्तरदायी होंगे।
- (5) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह दिसम्बर, 2021 में धनराशि रुपये 600,00,00,000/- (रुपये छः सौ करोड़ मात्र) एवं माह जनवरी, 2022 में धनराशि रुपये 350,00,00,000/- (रुपये तीन सौ पचास करोड़ मात्र) के रूप में किया जायेगा।
- (6) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 एवं समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ और ऊर्जा विभाग/ वित्त विभाग/ समाज कल्याण विभाग को उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।
- 5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।
- 6- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-09 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800 - अन्य व्यय -04-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-3415/दस-2021 2022, दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

संख्या-129/2021/2009(1)/24-1-21, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र० सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
- 3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र० सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 110011।
- 4- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ०प्र०, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।


बी0एम0-9 (भाग-1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृत
(सन्दर्भ-बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

अनुदान संख्या-9, ऊर्जा विभाग

वित्तीय वर्ष 2021-22 (धनराशि लाख रुपये में)

लेखाशीर्षक पूंजी	निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण		वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2801 - बिजली -05- मंचरण एवं चिनराण -800- अन्य व्यय - 10- 3050 पावर कारपोरेशन लि0 को विद्युत का की भुगतान की गयी धनराशि के विरुद्ध राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान-27-संक्षिप्ती योग-	200000.00	95000.00	95000.00	95000.00	105000.00
योग-	200000.00	95000.00	95000.00	95000.00	105000.00

लेखाशीर्षक	निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2801-बिजली -05-मंचरण एवं चिनराण-800- अन्य व्यय-04- 3050 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान -27 संक्षिप्ती योग-	965000.00	1060000.00	95000.00	95000.00	1060000.00
योग-	965000.00	1060000.00	95000.00	95000.00	1060000.00



- 1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-
धनराशि समर्पित किये जाने के कारण
- 2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-
वर्ष 2021-22 में आवंटित की गयी धनराशि समाप्त हो जाने के कारण
प्रमाणित किया जाता है उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट
मैनुअल के प्रस्तर-150, 151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिशीमाओं
का उल्लंघन नहीं होता है।
- 3-

संख्या-आर0ई0-202 /ई-10-3412/स-2021 2022, दिनांक 24 दिसम्बर, 2021

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

हस्ताक्षर:-



नाम व पदनाम- (आनन्द कुमार जियाठी)

प्रशासकीय विभाग-अनुसन्धिव, ऊर्जा विभाग।

हस्ताक्षर:-

नाम व पदनाम- (नीलरत्न कुमार)

विशेष सचिव,
विभाग-

संख्या:- 1881 /24-1-2021-54 (बजट)/2021, दिनांक 21 दिसम्बर, 2021

- 1- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, झुलवां तल केन्द्रीय भवन, मेकन-गन्ध, अलीगंज लखनऊ।
महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 मरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज।
महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 मरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
निदेशक, वित्तीय मांडिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10
वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)।
गार्ड फूक।
- 2-
- 3-
- 4-
- 5-
- 6-
- 7-
- 8-
- 9-

हस्ताक्षर:-



नाम व पदनाम- (आनन्द कुमार जियाठी)

प्रशासकीय विभाग-अनुसन्धिव, ऊर्जा विभाग।

